



2026:AHC:5099

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट ए संख्या 17838 वर्ष 2025

महेंद्र नाथ राय

.....याचिकाकर्ता (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 4 अन्य

.....प्रतिवादी (गण)

याचिकाकर्ता (गण) के अधिवक्ता : अनिल कुमार त्रिपाठी, मनीष कुमार पांडेय

प्रतिवादी (गण) के अधिवक्ता : मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

संशोधन आवेदन संख्या 2 वर्ष 2025 के संदर्भ में

1. इस संशोधन आवेदन के माध्यम से दिनांक 19.12.2025 के आदेश के पैराग्राफ 6 संख्या में "कनेक्टेड सी1" शब्द को हटाकर उसके स्थान पर "कनेक्टेड सी2" शब्द प्रतिस्थापित करने के लिए; पैराग्राफ 7 में "कनेक्टेड सी2" शब्द को हटाकर उसके स्थान पर "कनेक्टेड सी1" शब्द प्रतिस्थापित करने के लिए; पैराग्राफ 9 में "कनेक्टेड सी2" शब्द को हटाकर उसके स्थान पर "कनेक्टेड सी1" शब्द प्रतिस्थापित करने के लिए; पृष्ठ-4 पर पंक्ति 6 में पैराग्राफ 13 में "कनेक्टेड सी1" शब्द को हटाकर उसके स्थान पर "कनेक्टेड सी2" शब्द प्रतिस्थापित करने के लिए; उसी पैराग्राफ की पंक्ति 7 में "कनेक्टेड सी2" शब्द को हटाकर उसके स्थान पर "कनेक्टेड सी1" शब्द प्रतिस्थापित करने के लिए; और पैराग्राफ 16 में "कनेक्टेड सी1" और "कनेक्टेड सी2" शब्दों को हटाकर उनके स्थान पर क्रमशः "कनेक्टेड सी2" और "कनेक्टेड सी1" शब्द प्रतिस्थापित करने के लिए संशोधन की मांग की गई है। ।

2. तदनुसार आवेदन स्वीकार किया जाता है।

3. अभ्यावेदन दाखिल करने की समय सीमा 16.01.2026 तक बढ़ा दी गई है।

8 जनवरी, 2026

एन. एस. राठौर

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।